

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्यूनिटी सेन्टर,
प्रीत विहार, विकास मार्ग,
नई दिल्ली-110092

रांची, दिनांक 22/7/2011

विषय:-

डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, गया रोड, बभने, चतरा को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, गया रोड, बभने, चतरा से प्राप्त आवेदन (छायाप्रति संलग्न) पर, सम्बन्धित विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता हेतु मात्र सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है। सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व बोर्ड अपनी मानक शर्तों को पूरा करने के संबंध में संतुष्ट हो लेगा। राज्य सरकार में अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तें निर्धारित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतएव, यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा जो सामान्य निदेश लागू किया जायेगा वह इस विद्यालय प्रबंधन को मान्य होगा। साथ ही यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त विद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्त/सिद्धान्त की अवहेलना/उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होती है तो जांचोपरान्त संबंधित विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करते हुए सी0बी0एस0ई0 को अपनी मान्यता समाप्त करने हेतु संसूचित कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक-यथोपरि।

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

झापांक-12/अ.6-01/2011 1935 /

रांची, दिनांक 22/7/2011

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा/सचिव, डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, गया रोड, बभने, चतरा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।